प्रेस नोट दिनाँक- 09.12.2023

(1). आज दिनाँक 09.12.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 09.12.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे- चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(3). दिनाँक-08.12.2023 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गयी । अपराध गोष्ठी में महोदया द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गयेः-

(1). अवैध खनन और अवैध परिवहन में पुलिस की संलिप्तता के विरुद्ध सचेत रहने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, थाना प्रभारी को बताया गया है कि अपने अधीनस्थ जितना पुलिस बल तैनात है उनकी गतिविधियों पर सचेत रहे एवं कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी अपराधिकृत में शामिल होता हुआ पाया नहीं जाना चाहिए ।

(2). जितने भी मुकदमे इस वर्ष पर पंजीकृत हुये हैं उनका अधिक से अधिक का विवेचना निस्तारण इसी वर्ष में पूरा करना सुनिश्चित करें।

(3). संगीत अपराध की विशेष रुप से समीक्षा की गई, जितनी विवेचना लंबित है एवं उनके निस्तारण हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए गए।

(4). थाना/चौकिया में जो मरम्मत की आवश्यकता है उसके संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए की सभी थाने अपने मरम्मत के कार्यों का प्रस्ताव बना कर भेजें ताकि उनको क्रमवार संपादित कराया जा सके।

(5). बार-बार अपराध करने वालों की हिस्ट्रीशीट इसी वर्ष में खोलकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(6). ऐसे आम अपराधी जो बार-बार अपराध करते हैं तथा जिनके अधिक स्थानीय प्रभाव है उनको माफिया हेतु चिन्हित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी यातायात/कार्यालय श्री राज कमल, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री परितोष दीक्षित, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, प्रधान लिपिक श्री अनिल मोहन शुक्ला एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।

(4). आज दिनाँक-09.12.023.को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अनुज मिश्र के पर्यवेक्षण में डॉग स्क्वॉयड एलआईयू चित्रकूट एवं न्यायालय सुरक्षा की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रुप से राष्ट्रीय लोक अदालत के दृष्टिगत माननीय न्यायालय एवं न्यायालय परिसर में संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी जिला अस्पताल श्री मुन्नीलाल तथा उनके हमराही आरक्षी आदित्य पाल द्वारा मु0नं0 2565/2023 धारा 323,504,506,325 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त उदयवीर पुत्र रामखेलावन निवासी सिद्धपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट तथा वारण्टी अभियुक्त चन्दन बौरिया पुत्र मुन्नालाल उर्फ राजनारायण निवासी शत्रुध्नपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). आज दिनाँक-09.12.2023 को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय की अध्यक्षता में थाना रैपुरा में, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय की अध्यक्षता में थाना बहिलपुरवा में एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जय करन सिंह की अध्यक्षता में थाना बरगढ़ में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(7). आज दिनाँक-09.12.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में थाना पहाड़ी में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस ने चोरी की 02 घटनाओं को खुलाशा करते हुये 02 चोरों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 28.10.2023 को विकास खण्ड मऊ स्थित सरकारी आवास में निवासित कम्प्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद सहनवाज द्वारा थाना मऊ मे सूचना दी कि उनके सरकारी आवास से अज्ञात चोरों ने नगदी व जेवरात चोरी कर लिये हैं तथा दिनाँक 06.11.2023 को वादी श्री टिकाधर द्विवेदी पुत्र श्री ईश्वरधर द्विवेदी निवासी परदवां थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में सूचना दी थी कि अज्ञात चोरों ने उनकी पत्नी के साथ टप्पेबाजी करके बेग छीन लिया है जिसमें नगदी व कागजात थे। इस सूचना पर थाना मऊ में क्रमशः मु0अ0सं0 245/2023 धारा 457,380 भादवि0 व मु0अ0सं0 260/2023 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा घटनाओं का संज्ञान लेकर उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम को घटनाओं के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 09.12.2023 को हनुमान मंदिर के पीछे से कटिया तालाब के पास से विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.मनीष पुत्र फूलचंद चिकवा 02.भिलाई उर्फ मनोज पुत्र रामसूरत पासी निवासीगण ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के जेवरात व नगदी बरामद की गयी। चोरी के जेवरात व नगदी बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनों मुकदमों में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी अभियुक्तों का विवरणः-

1. मनीष पुत्र फूलचंद चिकवा
2. भिलाई उर्फ मनोज पुत्र रामसूरत पासी निवासीगण ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1. 02 जोड़ी पायल सफेद धातु
2. 02 अंगूठी पीली धातु
3. 01 कान का टॉप्स पीली धातु
4. 16000 रुपया नगद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री इंद्रजीत गौतम थाना मऊ
2. मुख्य आऱक्षी जुबेर अली
3. आरक्षी राहुल पांडेय
4. आरक्षी प्रवीण पांडेय